–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :–देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 22/2022

उनवान

रामावतार पुत्र हरकरण जाति जाट निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद
——प्रार्थी :–जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1 देवकरण पुत्र बालू जाति जाट निवासी ग्राम कानपुरा, नसीराबाद
2. मैनेजर एच.डी.एफ.सी. बैंक, विजयनगर, अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
——अप्रार्थीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली
2 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 25.10.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानुपरा के हाल खसरा नम्बर 3345 रकबा 0.19 की आराजी आवेदनकर्ता की खातेदारी की है। उक्त आराजी पर आवागमन हेतु खसरा नम्बर 3061 से होते हुये खसरा नम्बर 3334/5375 जो कि सिवाःयचक है में से हो कर खसरा नम्बर 3334 व 3335 मे से खसरा नम्बर 3345 में प्रवेश करता है। खसरा नम्बर 3334 व 3335 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है। उक्त रास्ते का उपयोग प्रार्थी वर्षो से करता है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त आवेदनकर्ता के पास अन्य कोई मार्ग राजस्व मानचित्र में नही है। अतः प्रार्थी को खसरा नम्बर 3334/5375, 3334 व 3335 में से 20 फिट चौडा रास्ता दिलववाया जानना न्यायोचित व आवश्यक है तथा वर्तमान मजाबंदी में भी उक्त रास्तें का इन्द्राज करवानें के आदेश पारित किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रकरण में जवाब पेश नही मौका रिपोर्ट से सहमती जाहिर की। तहसीलदार नसीराबाद से प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम कानुपरा के हाल खसरा [illegible] नम्बर 3345 रकबा 0.19 प्रार्थी की खातेदारी की है। हाल खसरा नम्बर 3333, 3334, 3335 व 3347 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है। तहसीलदार [illegible] में 4 मार्ग प्रस्तावित किये गये है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] सहमती जाहिर की [illegible] मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवाग[illegible] हेतु खसरा नम्बर 64[illegible]346 आबादी ग्राम पंचायत कानपुरा, में मौके पर 10 से 14–15 फिट चौडी गली रास्ता दोनो तरफ से होकर खसरा नम्बर 3347 रकबा 0.77 किस्म चाही में से 0.0207 चौडाई 20 फिट उपयोग लिये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। । उक्त रिपोर्ट व मार्ग से दोनो पक्ष सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:03:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रश्नगत प्रकरण के अप्रार्थी रामावतार द्वारा भी स्वयं की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु प्रार्थी देवकरण की खातेदारी आराजी में से रास्ता चाहा है। उक्त प्रकरण संख्या 22/22 उनवान देवकरण बनाम रामावतार हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में भी अंतिम बहस पूर्ण हो चुकी है दोनो पक्ष सहमती से दोनो ही प्रकरण में मार्ग देने हेतु तैयार है। रामावतार द्वारा अपने खातेदारी खसरा नम्बर 3345 पर आवागमन हेतु देवकरण की आराजी में से रास्ता चाहा है। उक्त मार्ग देने के बाद प्रार्थी देवकरण को अप्रार्थी रामावतार के खातेदारी खसरा नम्बर 3345 में से रास्ता दिये जाने से दोनो ही पक्ष को आपनी–अपनी खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु लघुतम मार्ग उपलब्ध किया जा सकता है। उक्तानुसार प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी मार्ग प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम कानुपरा के हाल खसरा नम्बर 3347 रकबा 0.77 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त खसरा नम्बर में से 20 फिट चौडा कुल 207 वर्ग मीटर भूमि गै.मु. रास्ता दर्ज करनें के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के बदले 14290/ अक्षरे चौदह हजार दो सौ नब्बे रूपये अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान होने के बाद उक्त भूमि सिवायचक खातें में गै.मु. रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 15:03:25 IST
Reason: SelfAttested